



कार्यालय उप वन संरक्षक, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail:dfonnagar-forest-uk@nic.in

Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं०: / 12-1 दिनांक 21 / 12/2018

सेवा मे

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड
मुनिकीरेती।

विषय :- जनपद- टिहरी गढवाल के अन्तर्गत खजरा बैजवाडी मोटर मार्ग के किमी० ०४ से आगे बरसीला पोंथ मंजूली तक मोटर मार्ग का विस्तार हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/28766/2017


सन्दर्भ :- भारत सरकार के पत्रांक-०८बी०/यू०सी०पी०/०६/७६/२०१८/एफ०सी०/१५६३ दिनांक ११-१०-२०१९।

महोदय,

आपके उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र में उल्लेखित कमियों का बिन्दुवार आख्या प्रस्तावक विभाग द्वारा उनके पत्रांक-१८०६/३३सी० दिनांक १२-१२-२०१९ से प्रेषित की गयी है जो जो निम्नवत् है।


क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	In reply to point No.02 VLC proceeding of village Bhinjwari is stil not corrected as the name of village Nakheri mentioned in para-3. Further, it is seen from the para B 2.3 of part-1 that the forest land proposed for diversion is falls within jurisdiction of Bainjwari and poth villages. State Govt. may submit/upload the VLC meeting proceedings of both villages.	बिन्दु संख्या-०१ के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि FRA मे संलग्न ग्राम स्तरीय कमेटी में त्रुटिवश ग्राम नैखरी अंकित हो गया था जिससे उनके द्वारा संशोधित कर भाग-०१ के पैरा बी-२.३ में अपलोड कर दिया गया है। जिसकी मूल प्रति सहित ०४ प्रतियों में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। (प्रति संलग्न-०१)
2	On perusal of KML file it seems that village is already connected. State Govt. may submit the justification of the proposed road.	बिन्दु संख्या-०२ के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम बैजवाडी के परिवार काफी क्षेत्र में फैले है पूर्व निर्मित मोटर मार्ग ग्राम बैजवाडी के प्रारम्भिक बिन्दु को ही जोडता है तथा प्रस्तावित मोटर मार्ग पूरे ग्राम बैजवाडी को जोडते हुये ग्राम पोंथ को जोडेगा। अतः के०एम०एल० फाईल जो मार्ग बैजवाडी को जोडता हुआ दिखायी दे रहा है वास्तव में वह ग्राम-बैजवाडी के प्रारम्भिक बिन्दु को ही जोडता है। प्रस्तावित मार्ग ग्राम-बैजवाडी से आगे ग्राम पोंथ को जोडेगा। अतः ग्राम-बैजवाडी/पूर्व निर्मित मार्ग का अन्तिम बिन्दु ही प्रस्तावित मोटर मार्ग का प्रारम्भिक बिन्दु है।

भवदीय


उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या:- 1219 / दिनांकित।

प्रतिलिपि :-अधिसासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग श्रीनगर मु० कीर्तिनगर को उनके पत्रांक-१८०६/३३सी० दिनांक १२-१२-२०१९ के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।


उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

OLC

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैँजवाड़ी मोटर मार्ग के कि०मी० 04 से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार (लम्बाई 4.00 कि०मी०)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - बैँजवाड़ी ड़ागर
तहसील कीर्तिनगर जिला टिहरी गढ़वाल


अनापत्ति प्रमाण पत्र


उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैँजवाड़ी मोटर मार्ग के कि०मी० 04 से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग की परियोजना के निर्माण हेतु (1.7675 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.1050 हे० सिविल सोयम भूमि, शून्य वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.8725 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बैँजवाड़ी ड़ागर द्वारा दिनांक 10.03.2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बैँजवाड़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।




सहायक अभियन्ता 10/3/2017
अस्थाई खण्ड लो०नि० वि०
धीनगर-मु० कीर्तिनगर टि० व०

परियोजना का नाम :-

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैजवाड़ी मोटर मार्ग के कि०मी० 04 से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार (लम्बाई 4.00 कि०मी०)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - थाती डागर, ग्राम पोथ

तहसील कीर्तिनगर जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैजवाड़ी मोटर मार्ग के कि०मी० 04 से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग की परियोजना के निर्माण हेतु (1.7675 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.1050 हे० सिविल सोयम भूमि, शून्य वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.8725 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।


उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत थाती डागर द्वारा दिनांक 10.03.2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पोथ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान




सहायक अभियन्ता गे०/३/२०१७
अस्थाई ल०६ लो० नि० वि०
वीरपुर-मु० कीर्तिनगर टि० ६०

